

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (76) आकाशि/अनु/2003/764

दिनांक- 8/9/2011

संशोधन-आदेश

इस दिनांक के समसंख्यक आदेश क्रमांक 764 दिनांक 19.8.2011 के द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालय को जारी अध्यायी अनुमति प्रमाण पत्र में संशोधन करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सत्र 2011-12 से स्नाई अनुमति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

क्र. सं.	पत्र सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	76	एन० एन० इस्टी० ओ० ए० ए० साइन्स	जोधपुर बाईपास, गार्डन सिटी के पास, रिजमलहर-सदर अला बीकानेर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व अर्द्धित विषय एवं संकाय एवं नवीन विषय एम फिल (बायोटेक नाईको बोटनी)

1. संबंधित विश्वविद्यालय से संशोधन प्राप्त करने का दायित्व संबंध संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्द्धतथ्यी प्राध्याप एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानकानुसार अर्द्धतथ्यी स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान इ भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समक-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/निदेशालय कोलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा उत्तराखण्ड नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्नाई मान्यता इस बात पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्नाई मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विभिन्न महाविद्यालयों को यूजीसी के निर्देशों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करने होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राजा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माउ उच्च शिक्षा वीपी महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कोलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. डिप्टी कलेक्टर, बीकानेर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कोलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रयुक्त-निदेशक (अनुदान)



राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर नवीन व पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
एम.एन. कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बीकानेर।	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर नवीन विषय- कला संकाय-हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास। स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित विषय- विज्ञान संकाय-भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर, गणित।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्यहृत कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली